सुजेन लुईस मार्टीन

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य

(दाण्डिक अपील सं0-78/2009)

दिनांकित 16 जनवरी, 2009

(न्यायमुर्तिगण मारकण्डेय काटजू एवं वी.एस सिरपुरकर)

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973:

धारा-379- जमानत प्रदान करते हुए दण्डादेश का निलंबन-विचारण न्यायालय द्वारा अपराध अंतर्गत धारा-376 भा0द0स0 में दोषसिद्व कर आजीवन कारावास से दंडित-अपील के लंबन के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान करते हुए दण्डादेश निलंबित किया गया- निर्धारित किया गया: प्रकीर्ण जमानत प्रदान करते हुए दंडादेश को निलम्बित किया जाने हेतु उचित केस नहीं था- उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत प्रदान किया जाना अथवा दण्डादेश को निलम्बित किया जाना पूर्ण रूप से अनुचित था- उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त- अभियुक्त को प्रदान की गयी जमानत रद्व की गयी- भारतीय दंड संहिता की धारा-376

दांडिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, दांडिक अपील सं0-78/2009

जोधपुर उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा दांडिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थनापत्र/दण्डादेश निलम्बित याचिका नं0 702/2008,डी.बी. दांडिक अपील संख्या-344/2008 में पारित अंतिम आदेश एवं निर्णय दिनांकित 29.07.2008 के विरूद्व।

अपीलार्थी अजयपाल के अधिवक्ता विक्रम चौधरी एवं निखिल जैन।

प्रत्यर्थी ब्रजभूषण के विद्वान अधिवक्ता जतिन्द्र कुमार भाटिया, राजेन्द्र सिंघवी एवं के.के.एल. गौतम

न्यायालय का आदेश सुनाया गया।

<u>आदेश</u>

1.-अनुमति प्रदान की गयी।

2.-पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

3.-प्रस्तुत अपील उच्च न्यायालय राजस्थान की डिवीजन बेंच द्वारा प्रकीर्ण जमानत प्रार्थनापत्र/दण्डादेश निलम्बन याचिका संख्या-712/2008, डी.बी. दाण्डिक अपील संख्या-344/2008 में पारित आदेश दिनांकित 29.07.2008 के विरूद्व दाखिल की गयी है, उक्त आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-389 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरदाता संख्या-2 के दण्डादेश को निलम्बित करते हुए उसे कुछ शर्तो के अधीन जमानत प्रदान की गयी थी।

4.-हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के प्रपत्रों, विशेष रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-18 दिनांकित-09.01.2008 जोकि थाना अम्बामाता जनपद उदयपुर में अंतर्गत धारा-376 एवं 450 भा0द0स0 पंजीकृत की गयी थी, का अवलोकन किया गया, जिसमें उत्तरदाता/अभियुक्त के विरूद्व संगीन आरोप लगाये गये थे। अपीलार्थिनी एक अंग्रेज पत्रकार एवं व्यवसायी हैं। वह भारत आकर परदेशी गेस्ट हाऊस उदयपुर में रह रही थी। दिनांक-23/24.12.2007 को उत्तरदाता संख्या-2 जोकि उक्त गेस्ट हाऊस चला रहा था, जबरदस्ती अपीलार्थिनी के कमरे में घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। अपीलार्थिनी द्वारा कहा गया है कि इस घटना के कारण वह भावनात्मक, मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट गयी थी और सामान्य मनुष्य की तरह सोचने तथा कार्य करने में अक्षम हो गयी थी। विचारण न्यायालय द्वारा

अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा-376 भा0द0स0 के लिए दोषसिद्व करते हुए आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने के निर्णय का हमारे द्वारा अवलोकन किया गया।

5.-प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा मामले के गुणदोष तथा अभियुक्त की दोषिता पर कोई मत व्यक्त न करते हुए हमारी राय में प्रस्तुत प्रकरण में जमानत प्रदान किये जाने तथा दण्डादेश को निलम्बित किये जाने हेतु उचित आधार नहीं थे। उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त को जमानत प्रदान किया जाना अथवा दण्डादेश को निलम्बित किया जाना पूर्ण रूप से अनुचित था।

6.-तदनुसार, हम प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हैं तथा अभियुक्त/उत्तरदाता संख्या-2 को प्रदान की गयी जमानत रद्व करते हैं। अभियुक्त/उत्तरदाता संख्या-2 अविलम्ब हिरासत में लिया जाये। तथापि, हम अपील को शीघ्र निस्तारित करने हेतु उच्च न्यायालय से निवेदन करते है।

अपील तदनुसार निस्तारित हो।

शैलेन्द्र सचान